

समाहरणालय, पटना ।

(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (क.
फैक्स न०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

26-07-2013

—: आदेश :-

आवेदक श्री संजीत कुमार, पिता—श्री हरि नारायण सिंह, सा०—दुठीपुर, पो०—निसरपुरा, थाना—परसाबाजार, जिला—पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—09—102/2010 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक—26.07.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे ठीकेदार हैं। उनका गाँव/मुहल्ला में ख्याति अच्छी है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—1192/गो०, दिनांक—06.06.2010 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, परसाबाजार एवं पुलिस निरीक्षक, पुनपुन अंचल के अग्रसारण एवं अनुशंसा से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित एवं अनुशंसित करते हुए मूल में संलग्न कर भेजा गया है। थानाध्यक्ष, परसाबाजार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक ठीकेदार हैं। उनका गाँव/मुहल्ला में ख्याति अच्छी है। इन्हें शस्त्र अनुज्ञप्ति दिये जाने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान—माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।


शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री संजीत कुमार, पिता—श्री हरि नारायण सिंह, सा०—दुठीपुर, पो०—निसरपुरा, थाना—परसाबाजार, जिला—

पटना को उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार .
लिए मान्य एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित
अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट
साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय
में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर
लेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।